

वहिल नैनवा का पुराना 55 के खसरा से  
 के खाता से नया 55 पुराना 55 के खसरा से  
 367 रुबा 2-0063 हेक्टर भूमि पर रिकार्ड  
 एवं मीठा की बंधास्थिति बनाए रखे जाने  
 प्रार्थी को बेदखल नही करने भूमि को नष्ट-भ्रष्ट  
 नही करने की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी  
 संख्या 1 लगायत 6 को आगामी तारीख पेसी  
 तड पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण को  
 सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली  
 दिनांक 18-8-21 को पेश है।

श्रीमान  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नैनवा (बुन्दी)

18-8-21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है  
 अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री  
 देवेन्द्र कुमार जैन ने जवाब पेश किया।  
 पिलायी। अप्रार्थी सं. 3 से 6 की ओर से मूल  
 वाद में वकील सुश्री कमलानी मीणा ने वकालत  
 पेश किया है पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी  
 सं. 3 से 6 के लिए दि. 15-9-21 को पेश  
 है।

15/9/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत  
 केम्प केट खानपुरा में दि. 11/10/21 को पेश है।

प्रार्थना पत्र विद्रो  
 करना चाहता है।  
 विद्रो के प्राचार पर  
 खारिज किया जाए।

11/10/21 पत्रावली केम्प केट खानपुरा में पेश हुई। प्रार्थी  
 ने प्रार्थना पत्र विद्रो किये जाने का निवेदन  
 किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विद्रो किये जाने  
 से खारिज किया जाता है पत्रावली बाद तमकी  
 मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले  
 न्यायालय में सुनाया गया।

प.व.प.

उपखण्ड अधिकारी  
 नैनवा (बुन्दी)

